

उत्तर प्रदेश शासन
भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग
संख्या 3091/86-2018-183/2011
लखनऊ, 20 दिसम्बर 2018
अधिसूचना

सा0प0नि0-95

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के साथ पठित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन् 1957) की धारा 23ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 से संबंधित अधिसूचना संख्या-4268/77-2002-53/2001 दिनांक-02 सितम्बर, 2003 का अधिक्रमण करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

**उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण)
नियमावली, 2018
अध्याय एक
प्रारम्भिक**

1	(1)	यह नियमावली उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 कही जायेगी।	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
	(2)	यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।	
2	(1)	जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—	परिभाषाएं
	(क)	‘अधिनियम’ का तात्पर्य खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन 1957) से है;	
	(ख)	‘जिला अधिकारी’ का तात्पर्य संबंधित जिला के कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट से है;	
	(ग)	‘वाहक’ का तात्पर्य वाहन या सुविधा की किसी रीति से है जिसके द्वारा खनिज का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाता है और इसमें ट्रक, ट्रैक्टर, डम्पर, रेल, जलयान या कोई अन्य साधन सम्मिलित है;	
	(घ)	‘जॉच चौकी’ का तात्पर्य खनिज (खनिजों) के परिवहन से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करने हेतु प्राधिकृत कार्मिक द्वारा प्रबंधकृत किसी स्थायी या अस्थायी संरचना से है;	
	(ङ)	‘प्रपत्र’ का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न किसी प्रपत्र से है;	
	(च)	‘सरकार’ का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;	
	(छ)	‘सरकारी प्रयोगशाला’ का तात्पर्य भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन क्रियाशील रासायनिक विश्लेषण प्रयोगशालाओं से है;	
	(ज)	‘अवैध खनन’ का तात्पर्य अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) का उल्लंघन करके किये गये किसी खनन क्रियाकलाप से है;	
	(झ)	अवैध परिवहन का तात्पर्य अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों से अन्यथा रूप में किसी खनिज का परिवहन करने या परिवहन कराने से है;	
	(ञ)	‘अवैध भण्डारण’ का तात्पर्य अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों से अन्यथा रूप में किसी खनिज का भण्डारण करने से है;	
	(ट)	‘निरीक्षणकर्ता अधिकारी’ का तात्पर्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 24 और उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 66 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति से है;	
	(ठ)	‘अनुसंधान कार्य’ का तात्पर्य बिना किसी वाणिज्यिक उपयोग के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजनार्थ उद्योग में उपयोग हेतु खनिज के लाभार्थ और उसके उच्चीकरण के लिये उसकी उपयुक्तता के परीक्षण हेतु किये गये किसी कार्य से है;	
	(ड)	‘वैज्ञानिक परीक्षण’ का तात्पर्य बिना किसी वाणिज्यिक उपयोग के वैज्ञानिक	

		अध्ययन के प्रयोजनार्थ खनिज के रासायनिक विश्लेषण या खनिजीय अध्ययन और उसके रासायनिक तथा खनिजीय घटकों एवं गुणों के निर्धारण के लिये किये गये किसी परीक्षण से है;	
	(ढ)	‘भण्डारण अनुज्ञप्ति’ का तात्पर्य जिला अधिकारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के लिये जारी अनुज्ञप्ति से है जो कोई खनिज रखना चाहता हो, बिक्रीत करना चाहता हो, उसका व्यापार करना चाहता हो, उसका परिवहन, भण्डारण या अन्यथा रूप में व्यवहरण करना चाहता हो;	
	(ण)	‘भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी’ का तात्पर्य खनिज (खनिजों) का विक्रय या प्रसंस्करण करने हेतु क्रय करने, रखने, भण्डारित करने, विक्रय करने, आपूर्ति करने परिवहन करने, वितरण करने या परिदान करने का व्यवसाय करने हेतु इस नियमावली के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाले किसी व्यक्ति से है;	
	(त)	‘अभिवहन पास’ का तात्पर्य उक्त अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार निकाले गये किसी खनिज के विधि सम्मत परिवहन हेतु जिला अधिकारी द्वारा जारी किये गये पास से है;	
	(थ)	‘परिवहन’ का तात्पर्य खनिज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये जाने से है;	
	(द)	‘तुला चौकी’ का तात्पर्य खनिजों या खनिज उत्पादों को तौलने की यांत्रिकीकृत या इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से है;	
	(ध)	‘नगरीय क्षेत्र’ का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नगरीय और विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र से है;	
	(2)	इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित है।	
3		कोई व्यक्ति इस नियमावली के अधीन स्वीकृत किये गये किसी स्टाक अनुज्ञप्ति की निबंधन एवं शर्तों के सिवाय विक्रय या उपभोग के प्रयोजनार्थ किसी स्थान पर खनिज क्रय करने, रखने भण्डारित करने, बिक्रीत करने, आपूर्ति करने, उसका परिवहन करने, वितरण करने या परिदान करने या किसी खनिज का अन्यथा रूप में व्यवहरण करने का कार्य नहीं करेगा; परन्तु यह कि अवीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा धारक से, ऐसे खनिजों, जिनके लिये उसके पास खनन परिहार हो, के संबंध में यथास्थिति पट्टाधृत क्षेत्र के भीतर ऐसे खनिज (खनिजों) को रखने, भण्डारित करने, बिक्रीत करने, उनकी आपूर्ति करने, उनका परिवहन करने, वितरण करने या प्रसंस्करण करने और पट्टाधृत क्षेत्र से परिवहन करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी; परन्तु यह और कि ऐसे किसी पट्टेदार/अनुज्ञापत्रधारक या किसी व्यक्ति जो स्वयं के उपभोग के उपयोग हेतु खनिज क्रय करे और धारित करें, से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।	प्रतिषेध
^{1,2,3} 4	(1)	निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति, अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु पात्र होगा :-	अनुज्ञप्ति की स्वीकृति और खनिजों के भण्डारण की पात्रता
	(क)	ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारतीय राष्ट्रिक न हो ;	
	(ख)	ऐसी कोई कम्पनी, जो कम्पनी अधिनियम 2013 की परिधि में न हो ;	
	(ग)	ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो ;	
	(घ)	ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी अनुज्ञप्ति किसी पूर्व अनुज्ञप्ति की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करने के लिए रद्द कर दी गयी हो ;	
	(ङ)	सम्बन्धित जिला हेतु नदी तल के खनिजों की दशा में, पट्टेदार, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि में भण्डारण अनुज्ञप्ति के सिवाय।	
	(2)	खनिज भण्डारण की अनुज्ञा दी जायेगी, यदि:-	

	(क)	वह नदी तल के खनिजों की दशा में, पट्टाकृत क्षेत्र से 05 कि०मी० के घेरे के अन्तर्गत न हो, परन्तु उक्त निर्बन्धन, नदी तल में अनन्य रूप में मिश्रित अवस्था में पाये गये बालू, बजरी, बोल्टर पर आधारित उद्योगों के लिये लागू नहीं होंगे	
	(ख)	वह अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक संग्रहीत न किया जाय।	
		अध्याय-दो	
		भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति और उसका नवीकरण	
5	(1)	ऐसे किसी व्यक्ति, जो कोई खनिज प्राप्त करना, धारित करना, भण्डारित करना, विकृत करना चाहता हो, उसका व्यापार या उपभोग करना चाहता हो या उसके अन्यथा रूप में व्यवहृत करना चाहता हो, को प्रपत्र 'क' में भण्डारण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करना होगा। यदि वह ऐसे किसी खनिज जिसकी प्राप्ति का स्रोत जिला अधिकारी की अधिकारिता में न हो, के भण्डारण और व्यापार या भण्डारण और उपयोग हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन करता है तो उसके खनिज प्राप्ति के स्रोत/स्थान का उल्लेख करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा आवेदन दो प्रतियों में जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसकी अधिकारिता में आवेदक खनिज भण्डारित करना चाहे।	भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु आवेदन
	(2)	आवेदक को ट्रेजरी चालान के माध्यम से लेखा शीर्षक "0853 अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग 102 खनिज परिहार फीस, भाटक एवं स्वामित्व" के अधीन दस हजार रुपये मात्र की अप्रतिदेय फीस जमा करनी होगी।	
	(3)	उपनियम (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे:-	
	(एक)	समुचित लेखाशीर्षक के अधीन जमा की गयी उपनियम (2) के अधीन यथा विहित अप्रतिदेय फीस की मूल चालान और खनिज स्टाक के बाजार मूल्य 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा की रसीद ;	
	(दो)	भूमि के हक से संबंधित दस्तावेज, जिसमें विक्रय विलेख/भाटक विलेख/भू-स्वामी की नोटरीकृत शपथ पत्र पर सहमति सम्मिलित होगा;	
	(तीन)	भू-कर मानचित्र, नजरी नक्शा, जिसमें क्षेत्र की सीमाओं का विवरण हो।	
	(चार)	चरित्र प्रमाण पत्र;	
	(पाँच)	आवेदित खनिज की मात्रा की अन्यून 10 प्रतिशत रायल्टी का ऋण शोधन प्रमाण पत्र;	
	(छः)	इस आशय का शपथपत्र कि आवेदक चोरी या तस्करी या अवैध खनन या अवैध परिवहन या अवैध खनिज भण्डारण से संबंधित किसी मामले में किसी न्यायालय में सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है;	
	(सात)	अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन संदेय जिला अधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य खनन देयों से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति।	
6		ऐसी जाँच, जैसा कि वह उचित समझे, करने के पश्चात और आवेदित खनिज की मात्रा में 10 प्रतिशत रायल्टी की प्रतिभूति जमा की प्राप्ति पर जिलाधिकारी आवेदक को नियम 7 में विनिर्दिष्ट शर्त पर एक समय में अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिये इस शर्त के साथ भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर सकता है कि नदी तल के खनिज हेतु 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली प्रत्येक मानसून अवधि में अनुज्ञप्तिधारी को अपने 90 प्रतिशत स्टाक के परिसमाप्त होने को दर्शाने वाली विवरणी/अभिलेख प्रस्तुत करना होगा जिसे संबंधित जिला के ज्येष्ठ खनन अधिकारी/खनन अधिकारी/खनन निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया जायेगा। स्टाक परिसमाप्त न होने पर जिला अधिकारी वहाँ अनुज्ञप्ति रद्द कर सकता है, जहाँ आवश्यक पाया जाय और प्रतिभूति जमा को समयहृत कर सकता है। यदि वह भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने का विनिश्चय करता है तो जिला अधिकारी आवेदक को उसकी सहमति हेतु ऐसी अनुज्ञप्ति की स्वीकृति को शासित करने वाली निबंधन एवं शर्तें संसूचित करेगा। आवेदक संसूचना प्राप्त करने के दिनांक से सात दिन के भीतर निबंधन एवं	भण्डारण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन का निस्तारण

		शर्तों की सहमति के संबंध में अवगत करायेगा। जिला अधिकारी प्रपत्र 'ख' में भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत करेगा अथवा आवेदन प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उसे अस्वीकृत कर देगा। स्वीकृति हेतु अस्वीकृति आदेश, तत्संबंधी कारणों को अभिलिखित करते हुए आवेदक को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संसूचित किया जायेगा। परन्तु यह कि जिला अधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित विक्रय तथा विक्रय मूल्य की सामान्य शर्तें नियत कर सकता है। परन्तु यह भी कि फुटकर बिक्रेताओं, जो अधिकतम 100 क्यूबिक मीटर तक खनिज की मात्रा भण्डारित कर सकते हैं, को सरकार द्वारा यथा विहित प्रयोजनार्थ विकसित किये गये वेब पोर्टल पर आनलाइन दर्ज करना होगा और साथ ही साथ संबंधित जिला के खान अधिकारी को प्रपत्र 'घ' में त्रैमासिक विवरणी दाखिल करनी होगी।	
7		अनुज्ञप्ति प्रपत्र 'ख' में निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जायेगी;	भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु सामान्य शर्तें
	(एक)	अनुज्ञप्तिधारी को भण्डारण स्थल पर प्रमुखता से विक्रय मूल्य प्रदर्शित करना होगा।	
	(दो)	अनुज्ञप्तिधारी को स्टॉक के समुचित अनुश्रवण हेतु सी सी टी वी कैमरा और जांच द्वार अभिनियोजित करना होगा।	
	(तीन)	अनुज्ञप्तिधारी को ई-प्रपत्र 'ग' / प्रपत्र 'ग' / प्रपत्र 'छ' में प्रतिदिन विभिन्न गंतव्य स्थलों पर प्राप्त कराये गये और परिवहन किये गये खनिजों की शुद्ध और बोधगम्य लेखा अनुरक्षित करना होगा जो विधिमान्य अभिवहन पास, जिसके माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी ने खनिज प्राप्त किया हो, की मात्रा के अनुरूप होगा।	
	(चार)	अनुज्ञप्तिधारी को अनुवर्ती माह के प्रथम सप्ताह के भीतर प्रत्येक माह हेतु क्रमशः खण्ड (दो) तथा (तीन) के अधीन अनुरक्षित प्रपत्र 'ड' में मासिक विवरणी जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।	
	(पाँच)	समस्त रिपोर्ट, विवरणियां और रजिस्टर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुरक्षित किये जायेंगे और कारबार स्थल पर रखे जायेंगे तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे।	
	(छ)	अनुज्ञप्तिधारी खनिजों को भण्डारित करते हुए अथवा उन्हें प्रसंस्करण संयंत्र या सज्जीकरण संयंत्र या कारखाना में उपयोग करते समय पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा।	
	(सात)	अनुज्ञप्तिधारी को खान निदेशालय के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को खनिज स्टॉक का सत्यापन करने और नमूना तथा अभिलेखों का उद्धरण ग्रहण करने हेतु भण्डार, कारखाना, प्रसंस्करण संयंत्र तथा सज्जीकरण संयंत्र का निरीक्षण करने देना होगा।	
	(आठ)	जिला अधिकारी ऐसी अग्रतर शर्त अधिरोपित कर सकता है, जो लोकहित में आवश्यक हो।	
8		सरकार आन लाइन खनिज विक्रय की सुविधा प्रदान कर सकती है। उपभोक्ता इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट विभाग के वेब पोर्टल पर आन लाइन खनिज क्रय हेतु रजिस्टर कर सकते हैं।	खनिजों का ऑनलाइन विक्रय
9	(1)	अनुज्ञप्ति अधिकतम दो वर्ष के लिये इस शर्त पर नवीकृत की जा सकती है कि समस्त निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है।	अनुज्ञप्ति का नवीकरण
	(2)	यदि अनुज्ञप्ति नवीकरण, स्वीकृत किया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पहले ही जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि, यदि विधिमान्य हो, की गणना अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु प्रतिभूति जमा के रूप में की जायेगी।	
	(3)	अनुज्ञप्ति, नवीकरण-अवधि, नवीकरणाधीन अनुज्ञप्ति की समाप्ति के दिनांक से प्रारम्भ होगी।	
10		जिला अधिकारी अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान किसी भी समय अनुज्ञप्ति की किसी निबंधन एवं शर्त को भंग किये जाने पर अनुज्ञप्ति को निलम्बित रख सकता	अनुज्ञप्ति का विखंडन

		है। अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताओ नोटिस तामील किया जायेगा। यदि स्पष्टीकरण से जिला अधिकारी का समाधान हो जाता है तो वह ऐसे निलम्बन को प्रत्याहृत कर सकता है और अनुज्ञप्तिधारी को कारोबार करने की अनुज्ञा दे सकता है। अन्यथा, जिला अधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी को लिखित रूप में संसूचित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर सकता है और उस पर सरकार के प्रति प्रोद्भूत ब्याज सहित प्रतिभूति जमा भी समपहृत कर सकता है।	
		अध्याय-तीन	
		खनिजों का परिवहन	
11	(1)	खनन पट्टा, खनन अनुज्ञापत्र या पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति धारक द्वारा वाहन के माध्यम से खनिजों के समस्त प्रेषण के साथ एक ई-अभिवहन पास/अभिवहन पास दो प्रतियों में संलग्न किया जायेगा। वाहन के भारसाधक व्यक्ति को उक्त प्रयोजनार्थ अथवा राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर जाँच चौकी पर अभिवहन पास प्रस्तुत करना होगा।	खनिजों का परिवहन
	(2)	खनिज वहन करने वाले समस्त वाहनों को जाँच चौकी पर रुकना होगा और संबंधित जाँच चौकी द्वार से निकासी दिये जाने के पश्चात् ही प्रस्थान करना होगा। जाँच चौकी के भारसाधक व्यक्ति को ई-अभिवहन/अभिवहन पास की प्रथम प्रति पर आवश्यक पृष्ठांकन करना होगा और उसे तत्काल ऐसे वाहन के प्रचालक को वापस करना होगा और ई-अभिवहन/ अभिवहन पास की द्वितीय प्रति जाँच चौकी के अभिलेखों में रखनी होगी।	
		अध्याय-चार	
		जाँच चौकी तथा नाके	
12	(1)	विधिसम्मत प्राधिकार के बिना निकाले गये खनिजों के परिवहन तथा भण्डारण की जाँच करने और पट्टाधृत क्षेत्रों तथा डिपो से परिवहन किये गये खनिजों की गुणवत्ता तथा मात्रा की जाँच करने की दृष्टि से सरकार राज्य के भीतर किसी स्थान पर नाका (नाको) तथा तुला चौकी (तुला चौकियों) सहित या उनके बिना जाँच चौकी (जाँच चौकियाँ) स्थापित कर सकती है।	
	(2)	निम्नलिखित अधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर किसी स्थान पर किसी वाहन को रोक सकते हैं और उसकी जाँच कर सकते हैं और वाहन के भारसाधक व्यक्ति को मांग किये जाने पर विधिमान्य अभिवहन पास/अनुज्ञा पत्र और ऐसे अन्य विवरण यथा देयक (देयकें) या रसीद (रसीदें) प्रस्तुत करने होंगे।	
		अधिकारी का पदनाम	अधिकारिता
	(एक)	निदेशक, खान या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सम्पूर्ण राज्य
	(दो)	मुख्य खान अधिकारी	सम्पूर्ण राज्य
	(तीन)	जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट	संबंधित जिला के भीतर
	(चार)	ज्येष्ठ खान अधिकारी/ खान अधिकारी/खनन निरीक्षक	अपने खनन जिला/ क्षेत्र के भीतर
	(पाँच)	जांच द्वार पर्यवेक्षक	अपने खनन क्षेत्र के भीतर
	(छ)	उपनिरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न पुलिस अधिकारी	अपने संबंधित अधिकारिता के भीतर
	(3)	प्रत्येक खनन पट्टा और /या अनुज्ञप्ति धारक को खनिजों के स्टाकों तथा लेखाओं और उनसे संबंधित किन्हीं अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण, सत्यापन तथा जांच करने एवं नमूना ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक सहायता उपलब्ध करानी होगी। वह अभिवहन के दौरान वाहन की जांच तथा निरीक्षण, करने हेतु संबंधित प्राधिकारी को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने तथा उसके साथ समन्वय स्थापित करने के लिये उत्तरदायी होगा।	
	(4)	प्रत्येक खनन पट्टा और/ या अनुज्ञप्ति धारक को खानों/डिपों से खनिज	

		परिवहन करने वाले वाहन के भारसाधक व्यक्ति को ई-अभिवहन पास/ अभिवहन पास की द्वितीय एवं तृतीय प्रतियां जारी करनी होगी और मूल प्रति बही में रखी जायेगी।	
	(5)	जहाँ विभाग की कोई जाँच चौकी या जाँच चौकी सह तुला चौकी हो वहाँ प्रत्येक वाहन को सामान्यतः इससे होकर गुजरना होगा। पट्टेदार या खनिज का प्रयोग करने वाले सयंत्र या कारखाना से अपने स्वयं के लागत पर तुला चौकी रखने हेतु कहा जायेगा और उन्हें तुला चौकी की तुलन पर्ची सहित अभिवहन पास जारी करना होगा। समस्त वाहनों को ई-अभिवहन पास/ अभिवहन पास की दो प्रतियां (द्वितीय और तृतीय) रखनी होगी और उस जाँच चौकी/ तुला चौकी पर रुकना होगा जहाँ खनिज की मात्रा और गुणवत्ता का सत्यापन, सरकारी जाँचकर्ता कर्मचारिवृंद द्वारा किया जायेगा और वाहन के भारसाधक व्यक्ति द्वारा धारित तृतीय प्रति में जाँच चौकी लिपिक द्वारा आवश्यक पृष्ठांकन करके निकासी दिये जाने के पश्चात् ही प्रस्थान करना होगा। द्वितीय प्रति जाँच द्वार लिपिक को सौंप दी जायेगी जो इसे कार्यालय अभिलेख के निमित्त रख लेगा।	
	(6)	तुला चौकी के स्वामी को तुला चौकी को पूर्ण क्रियाशील दशा में रखना होगा और उसके ठप हो जाने या ठीक से कार्य न करने के सम्बन्ध में सूचना तत्काल सम्बन्धित खनन अधिकारी को दी जायेगी।	
	(7)	नाका या तुला चौकी के साथ या उसके बिना प्रत्येक जाँच चौकी के कार्य समय के सम्बन्ध में खनन अधिकारी द्वारा अग्रिम में आख्यापित किया जायेगा और उक्त कार्य समय, उस क्षेत्र में खनिज यातायात की सामान्य अपेक्षा के अनुरूप होगा।	
	(8)	जाँच चौकी और/या तुला चौकी का सरकारी भारसाधक जाँचकर्ता कर्मचारिवृंद लाये गये खनिज की मात्रा तथा गुणवत्ता का सत्यापन कर सकता है और अभिवहन पास/अनुज्ञापत्र की एक प्रति वापस कर देगा। वह उक्त पास/अनुज्ञापत्र की दोनों प्रतियां में लायी गयी और उक्त पास/ अनुज्ञापत्र में दर्शायी गयी खनिज की मात्रा तथा गुणवत्ता के मध्य हुई विसंगति से सम्बन्धित कोई टिप्पणी अभिलिखित करेगा। वह किसी खान स्वामी /अनुज्ञापिधारी की ओर से दुहराई गयी विसंगतियों से सम्बन्धित कोई मामला खनन अधिकारी के संज्ञान में लायेगा।	
	(9)	वाहन के भारसाधक व्यक्ति को, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर परेषक, परेषिती और खनिजों से सम्बन्धित समस्त सुसंगत सूचना उपलब्ध करानी होगी।	
	(10)	खनिज और वाहन की जांच करने के पश्चात् जांच चौकी या तुला चौकी के भारसाधक अधिकारी को अभिवहन पास पर पदनाम दिनांक और समय सहित अपना हस्ताक्षर करना होगा।	
	(11)	यदि जांच चौकी या तुला चौकी के भारसाधक अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि खनिज अभिवहन पास से आच्छादित नहीं है अथवा परिवहन बिना किसी विधिमान्य पास के किया गया है तो ऐसा अधिकारी यान को निरुद्ध कर सकता है। तब जांच चौकी या तुला चौकी का भार साधक अधिकारी अथवा कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त खनिज (खनिजों), यान (यानों), उपकरण (उपकरणों), उपस्कर (उपस्करो) अथवा किसी अन्य वस्तु (वस्तुओं) को अभिग्रहीत कर लेगा। अभिग्रहीत खनिज (खनिजे) यान (याने) उपकरण (उपकरणे) उपस्कर (उपस्करें) या कोई अन्य वस्तु (वस्तुएँ), अपराध का संज्ञान लेने हेतु सक्षम न्यायालय के किसी आदेश द्वारा अधिकृत किये जाने योग्य होंगी और उनका निस्तारण न्यायालय के निदेश के अनुसार किया जायेगा।	
		अध्याय-पांच	
		प्रकीर्ण	
13	(1)	जो कोई इस नियमावली के नियम का उल्लंघन किया हुआ पाया जायेगा, जिला अधिकारी रु० 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) तक की शास्ति और रायल्टी सहित ऐसे खनिज के मूल्य की वसूली करेगा। उक्त शास्ति की	शास्तियां

		धनराशि जमा करने में विफल रहने पर सम्बन्धित स्टाक अनुज्ञप्ति के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से जिला अधिकारी द्वारा उक्त की कटौती कर ली जायेगी।	
	(2)	किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस नियमावली के किसी उपबन्ध या अनुज्ञप्ति के किसी शर्त को भंग किये जाने अथवा उसका उल्लंघन किये जाने के मामले में जिला अधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को अपने मामले का कथन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् अनुज्ञप्ति का अवधारण कर सकता है।	
14		सरकार किसी आदेश के माध्यम से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को मात्र वैज्ञानिक परीक्षण तथा अनुसंधान कार्य के प्रयोजनार्थ इस नियमावली के किसी उपबन्ध की परिधि से छूट प्रदान कर सकती है।	छूट
15	(1)	जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये गये किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, प्रपत्र 'च' में आयुक्त को आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है।	अपील
	(2)	प्रत्येक अपील के साथ शीर्षक "0853" के अधीन जमा किये जाने हेतु 2000/-रुपये की फीस संलग्न की जायेगी।	
	(3)	आयुक्त विरोध में अपील किये गये आदेश को, जैसाकि वह उचित और उपयुक्त समझे, पुष्टिकृत, उसे उपान्तरित या अपास्त कर सकता है।	
16	(1)	इस नियमावली के अनुसार सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध सद्भावनापूर्वक की गयी या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।	इस नियमावली के अधीन की गयी कार्यवाही का संरक्षण
	(2)	इस नियमावली या तदधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसार सद्भावनापूर्वक की गयी या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के कारण हुई या होने हेतु संभाव्य किसी क्षति के लिये सरकार के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।	

(हिमांशु कुमार)
प्रमुख सचिव

अनुसूची
प्रपत्र "क"
खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन
{नियम-5(1) देखें}

दिनांक-.....

सेवा में,

जिलाधिकारी,

..... ।

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 के अधीन खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति दी जाए।

2- 10,000/-रूपये (रूपये दस हजार मात्र) की धनराशि, जो उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 के अनुसार इस आवेदन के सम्बन्ध में देय फीस है, जमा कर दी गयी है।

3- अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं:-

(एक) आवेदक का नाम, पूरे पते सहित

(दो) क्या आवेदक गैर-सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है?

(तीन) यदि आवेदक

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रिकता,

(ख) यदि कम्पनी है तो कम्पनी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाय,

(ग) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता,

(घ) आवेदक का व्यवसाय या उसके कारोबार की प्रकृति,

(ङ) खनिज या खनिजों के नाम, जिन्हें आवेदक भण्डारित करना चाहता है.

(च) अवधि, जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है.

(छ) भण्डारण के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का विवरण-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	मोहल्ला	अवस्थान
1	2	3	4	5

(चार) (क) क्या आवेदक उस भूमि पर सतही अधिकार रखता है जिसे भण्डारण के लिए वह उपयोग में लाना चाहता है?

(ख) यदि नहीं, तो क्या भण्डारण के लिए भूमि के स्वामी या अधिभोगी से सहमति प्राप्त कर ली है, यदि हाँ, तो स्वामी या अधिभोगी से प्राप्त लिखित सहमति दाखिल की जाये।

(पाँच) भूमि का संक्षिप्त विवरण, विशेष संदर्भ सहित,

(छ:) भण्डारित किये जाने वाले खनिज/ खनिजों की मात्रा,

(सात) खनिज/खनिजों के भण्डारण का उद्देश्य,

(आठ) भण्डारण के लिए उपयोग होने वाली भूमि का मानचित्र,

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही है और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जिसके अन्तर्गत आप द्वारा यथा अपेक्षित यथार्थ नक्शे भी है, देने को तैयार हूँ/हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

भवदीय,

(आवेदक का हस्ताक्षर और नाम)

प्रपत्र 'ख'

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति
{नियम-6 देखिये}

संख्या.....

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पूरा पता.....
2. अनुज्ञप्ति की अवधि.....से.....तक
3. भण्डारण के लिये अनुज्ञा प्राप्त खनिजों की मात्रा—
4. प्रत्येक खनिज की एक ही समय में अनुज्ञा प्राप्त मात्रा—
5. भण्डारण का प्रयोजन—
6. खनिजों के भण्डारण हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	मोहल्ला	अवस्थिति
1	2	3	4	5

स्थान.....

दिनांक.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी
के हस्ताक्षर तथा मुहर

प्रपत्र 'ग'

अभिवहन पास (तीन प्रतियों में)
{नियम-7(तीन) देखे}

पुस्तक संख्या

अभिवहन पास क्रम संख्या

दिनांक.....समय.....

1. भण्डारण के स्वामी का नाम, पूरा पता सहित
2. भण्डारण स्थल का विवरण
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गयी अनुज्ञा का विवरण
4. अनुज्ञा का वैध दिनांक
5. परिवहन किये जा रहे खनिज का नाम
6. प्रेषित किये जा रहे खनिज की मात्रा (घन मी० में)
7. गंतव्य स्थान

गाटा संख्या.....ग्राम.....
तहसील एवं जिला.....
आदेश संख्या.....
दिनांक.....

8. वाहन के प्रकार का विवरण
(ट्रक, ट्रैक्टर ट्राली की दशा में
वाहन का रजिस्ट्रीकरण संख्या, इंगित करें)
9. परेषण के भारसाधक व्यक्ति के हस्ताक्षर, पूरा नाम
पता सहित
10. पास जारी करने वाले व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर
दिनांक एवं समय सहित

कहाँ से—
कहाँ तक—
प्रकार—
(ट्रक/ट्रैक्टर)
रजिस्ट्रीकरण संख्या—

नोट— 1. प्रतिपत्र भण्डारण स्थल पर रख लिया जाएगा।

2. अन्य दो पर्ण परेषण के भारसाधक व्यक्ति को दिये जायेंगे, जिसमें से एक पूर्ण जॉच चौकी में रख लिया जायेगा।

प्रपत्र- 'घ'
विवरण
{देखिय नियम-6}

सेवा में,

जिलाधिकारी,

.....

त्रैमास.....के लिये विवरणी

1. भण्डार के स्वामी का नाम और पता.....
2. परिसर, जहाँ खनिजों का भण्डारण किया गया है, की अवस्थिति और स्वामित्व, यथा:-
गाटा संख्या.....ग्राम.....
तहसील.....जिला.....
3. खनिज के भण्डारण हेतु जिला भण्डारण प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश की संख्या और दिनांक.....
.....
4. खनिजों के स्टॉक का विवरण जैसा नीचे स्तम्भ में दिया गया है:-

खनिज / खनिजों का नाम	प्रत्येक खनिज का प्रारम्भिक स्टॉक (घन मीटर में)	त्रैमास के दौरान प्राप्त खनिज की कुल मात्रा (घन मीटर में)	त्रैमास के दौरान प्रेषित खनिज / खनिजों की कुल मात्रा (घन मीटर)	त्रैमास के दौरान जारी किये गये अभिवहन पासों की कुल संख्या दिनांक सहित	प्रेषण हेतु प्रयोग किये गये ट्रक या ट्रैक्टर या ट्राली की कुल संख्या	परिवहन के प्रकार का विवरण (ट्रक / ट्रैक्टर / ट्राली की रजिस्ट्रीकरण संख्या	खनिजवार अंतिम स्टॉक (घन मीटर में)	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान.....

दिनांक.....

अनुज्ञापिधारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र-‘ड.’
विवरणी
{देखिय नियम-7(चार)}

सेवा में,
जिलाधिकारी,

.....
माह.....के लिये विवरणी

1. भण्डार के स्वामी का नाम और पता.....
2. परिसर, जहाँ खनिजों का भण्डारण किया गया है, की अवस्थिति और स्वामित्व, यथा:-
गाटा संख्या.....ग्राम.....
तहसील.....जिला.....
3. खनिज के भण्डारण हेतु जिला भण्डारण प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश की संख्या और दिनांक.....
.....
4. खनिजों के स्टॉक का विवरण जैसा नीचे स्तम्भ में दिया गया है:-

खनिज / खनिजों का नाम	प्रत्येक खनिज का प्रारम्भिक स्टॉक (घन मीटर में)	माह के दौरान प्राप्त खनिज की कुल मात्रा (घन मीटर में)	माह के दौरान प्रेषित खनिज / खनिजों की कुल मात्रा (घन मीटर)	माह के दौरान जारी किये गये अभिवहन पासों की कुल संख्या दिनांक सहित	प्रेषण हेतु प्रयोग किये गये ट्रक या ट्रैक्टर या ट्राली की कुल संख्या	परिवहन के प्रकार का विवरण (ट्रक / ट्रैक्टर / ट्राली की रजिस्ट्रीकरण संख्या	खनिजवार अंतिम स्टॉक (घन मीटर में)	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान.....
दिनांक.....

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र-‘च’
अपील हेतु आवेदन का आदर्श प्रपत्र
(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)
{ नियम-15(1) देखें }

सेवा में,

मण्डालायुक्त,

मण्डल।

महोदय,

उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2018 के उपबन्धों के अधीन.....द्वारा पारित आदेश संख्या.....
दिनांक.....के विरुद्ध एक अपील दायर की जा रही है। अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं।

- 1 अपील दायर करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों, फर्म या कम्पनी
का नाम और पता
- 2 व्यक्ति/व्यक्तियों या फर्म या कम्पनी का व्यवसाय
- 3 उस प्राधिकारी जिसके विरुद्ध अपील दायर की जा रही है,
के आदेश की संख्या और दिनांक
(प्रतिलिपि संलग्न की जाय)
- 4 अपीलार्थी/अपीलार्थियों को आदेश की संसूचना का दिनांक
- 5 खनिज/खनिजों, जिनके लिये अपील दायर की जा रही है
- 6 उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2018 के नियम-15 (2) के खण्ड (ख) में यथाविहित रीति से अपील के लिये जमा किये गये 2000 रूपये की विहित फीस का विवरण
ट्रेजरी चालान संख्या-
(प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिये दिनांक-)
- 7 क्या प्रतिवादित आदेश के संसूचित किये जाने के दिनांक के 30 (तीस) दिन के भीतर अपील दायर की गयी है?
- 8 यदि नहीं, तो उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2018 के नियम-15 (1) के अधीन दिये गये उपबन्ध के अनुसार विहित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत न किये जाने का कारण
- 9 बनाये गये पक्ष/ पक्षकारों, यदि कोई हो, के नाम और पूरा पता
- 10 इसके साथ संलग्न अपील की प्रतियों की संख्या
- 11 अपील के आधार
(विवरण पृथक-पृथक प्रस्तुत किये जा सकते हैं)
(एक) संक्षिप्त तथ्य
(दो) आधार
(तीन) प्रार्थना
- 12 यदि अपील मुख्तारनामा धारक द्वारा दायर की गयी है तो ऐसे मुख्तारनामों को संलग्न किया जाय।

संलग्नक-

- 1.
- 2.
- 3.

स्थान.....

दिनांक.....

भवदीय

अपीलार्थी के हस्ताक्षर
और पूरा पता

प्रपत्र- 'छ'
मुख्य खनिजों के परिवहन के लिये अभिवहन पास
{ नियम-7(तीन) देखिये }

दिनांक-.....

समय.....

- 1 पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी का नाम
2. खान की अवस्थिति
3. खनिज का नाम
4. खनिज की मात्रा
5. किस प्रयोजन या उद्योग में खनिज का उपयोग
- किया जायेगा
6. गन्तव्य स्थान
7. परिवहन साधनों का विवरण
- (यदि यान हो तो उसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या)
8. खनिज ले जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और
- अंगुष्ठ चिन्ह
9. परेषण के भारसाधक व्यक्ति का पूरा नाम और पता
10. परेषण के भारसाधक व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर
11. अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति
- का नाम सहित पूर्ण हस्ताक्षर

टिप्पणी:- (1) प्रतिपर्ण खान में रख लिया जायेगा।

(2) दो प्रतिपर्ण परेषण के भार साधक व्यक्ति को दिये जायेगे, जिसमें से एक प्रतिपर्ण पास को जाँच करने वाले सरकारी सेवक द्वारा ले लिया जाएगा।